न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00300RAAJodhpur2018-121RTA223 Ishak Khan Vs Mohmmad Islam etc

इशाक खां पुत्र श्री नेजे खां, जाति मुसलमान, निवासी- मोहरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोहम्मद इस्लाम पुत्र अब्दुल खां, जाति मुसलमान, निवासी- मोहरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार फलौदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 327-ए/2018 इशाक खां बनाम मोहम्मद इस्लाम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 02

नि र्ण य

दिनांक : 11 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 327-ए/2018 इशाक खां बनाम मोहम्मद इस्लाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 51 के चिपते स्थित सरकारी भूमि खसरा नं. 50 रकबा 469 बीघा 13 बिस्वा ग्राम मोहरा के संबंध में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2018 के जरिये प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय बिना किसी कारण दिये पारित किया गया है, जो निर्णय बिना किसी कारण के पारित किया गया होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 207 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, जबकि राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अलग-अलग है तथा खसरा नं. 50 की भूमि वर्तमान में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व न्यायालय को वाद को सुनकर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा खरीद की गई भूमि तथा पूर्व में किये गये बेचाननामे में पड़ौस अलग-अलग दर्ज है, इस कारण प्रत्यर्थी संख्या एक को विवादित स्थल पर किसी तरह का हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा कब्जे व हक के विवाद को साक्ष्य सुनवाई के ही निस्तारित किया जा सकता है, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण भी सरसरी तौर पर पारित किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षों को सुनकर तनकियात कायम कर व दोनो पक्षों के मध्य विवादित बिंदु विरचित कर साक्ष्य सुनवाई के पश्चात प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था, जबकि राजस्व वाद राजस्व भूमि से संबंधित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही पोषणीय है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 327-ए/2018 इशाक खां बनाम मोहम्मद इस्लाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2018 को खारिज फरमाया तथा मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में दावे के विपरित कथन किये है। अपीलांट द्वारा अपील स्तर पर पड़ौस के संबंध में नया बिंदु को उठाया है, जबकि दावे में उसके द्वारा ऐसा कोई उज्र नहीं उठाया गया है। खसरा नं. 50 रकबा 469.13 बीघा राजकीय भूमि है तथा खसरा नं. 50/2 रकबा 30 बीघा रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी की भूमि के संबंध में तरमीम दुरुस्ती का दावा लाने का कोई अधिकार नही है। अपीलांट उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार नहीं होने से उसे दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध बेचाननामे दिनांक 17.03.1986 एवं 17 जनवरी 2003 जो खसरा नं. 50/2 रकबा 30 बीघा के बेचान से संबंधित है, उक्त बेचाननामों में खसरा नं. 50/2 के दर्शाये गये पड़ोस में भिन्नता पायी जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के जरिये वादी/अपीलांट का दावा खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 327-ए/2018 इशाक खां बनाम मोहम्मद इस्लाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2018 को खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11-7-23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर